संख्या-34/2023/001-531-2365824-2023-12-5002-002-2-2021

प्रेषक,

राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 05 अप्रैल, 2023

विषय:- राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान संख्या-11 में स्वीकृत आय-व्ययक अनुमान के सापेक्ष व्यय वहन करने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी०ए०/02/वित्तीय स्वीकृति 2023-24, दिनांक 03 अप्रैल, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिये अनुदान संख्या-11 में राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ के व्यय को वहन करने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू.921.31 लाख (रूपया नौ करोड़ इक्कीस लाख इकतीस हजार) के सापेक्ष रू.833.03 लाख (रूपया आठ करोड़ तैतीस लाख तीन हजार मात्र) मात्र को आपके निर्वतन पर रखकर अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- उक्त अनुदान की धनराशि पर अनुदान निमयावली के समस्त नियम लागू होगें तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के अध्याय-16ए के नियम इस अनुदान पर लागू होगें तथा इस सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत राजाज्ञा संख्या-1238/10-15(1)/63 दिनांक 17.01.1979 में उल्लिखित दिशा निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-ए-2364/दस-15(1)/63, दिनांक 17.01.1979 में अनुलग्नित नियमावली का भी परिपालन किया जाये।

2- उक्त अनुदान की धनराशि का देयक राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा। इस देयक पर संयुक्तु कृषि निदेशक, लखनऊ मण्डल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा भुगतान किया जायेगा। निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा लखनऊ अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरान्त कृषि निदेशक, उ0प्र0 को सूचित करेगें।

3- जारी स्वीकृति के सापेक्ष एकमुश्त धनराशि का आहरण न करते हुए आवश्यकतानुसार धनराशि कोषागार से फेजिंग के आधार पर सुनिश्चित की जाये। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- व्यय प्रतिनिधानित अधिकारों की सीमा के अधीन ही किया जाये। तथा जहां कही भी शासन की स्वीकृति व्यय हेतु आवश्यक हो उसे यथा समय प्राप्त किया जायेगा और व्यय को धनराशि की सीमा तक ही सीमिति रखा जाये।
5- समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों तथा व्यय बचत आयोग की संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
6- यह स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2021-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 29,42,000 (रुपये उन्तीस लाख बयालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001090400 रहमान खेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) (*2*) रुपये 8,03,61,000 (रुपये आठ करोड़ तीन लाख इकसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001090400 रहमान खेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान **मानक मद** 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव,

संख्या-34/2023/001-531-2365824-2023-12-5002-002-2-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार,(सिविल/ आडिट) प्रथम/द्वितीय , उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 ,लखनऊ।
6- निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्धक संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ ।
7- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 ,लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
9- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र0 ,लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।